

GOVT. OF BIHAR  
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.  
MUNGER SCORE, MUNGER



भारत  
STAMP DUTY  
"प्ररूप 26"  
80000

बिहार  
JUDICIAL

8789 8533517

निर्माण क्र. 0000700

24.3.2014

375262

BIHAR

India -- Zero-Zero-Zero-Zero-Dim--Zero-Zero--



NOTARY PUBLIC

Authorization No. 2286

M. K. Sonandi  
MUNGER BIHAR  
NOTARY PUBLIC

2014

2014

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) खंडीय लोक सभा (सदन का नाम) के लिए  
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

### भाग-क

मैं राम बदन राम पुत्र/पुत्री/पत्नी श.क. बडौर राम आयु 59 वर्ष,  
जो ग्राम - रामदीरी, डाकघर - रचियाडी, थाना - मदिहानी जिला -  
बेगूसराय, पीन कोड - 851134

(डाक का पूरा पता लिखें) का / श्री  
निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता  
हूँ / करती हूँ :-

- मैं समाजवादी पार्टी (\*\*राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा  
किया गया अभ्यर्थी/~~एक स्वतंत्र अभ्यर्थी~~ के रूप में लड़ रहा है।  
(\*\*जो लागू न हो उसे काट दें)
- मेरा नाम श.क. मदिहानी विधान सभा क्षेत्र (विहार) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य  
का नाम) में भाग संख्या 160 के क्रम संख्या 222 पर प्रविष्ट है।
- मेरा संपर्क टेलीफोन नं० 09809632040/9431807704 है/हैं और मेरा ई-मेल  
आईडी(यदि कोई हो तो) लागू नहीं है।
- स्टाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्योरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम संख्या	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)

Notary Public  
Munger, Bihar  
2014

1.	स्वयं रामचंद्र राम	AGEPR9892J	2012-2013	₹ 3,12,583.00
2.	पति-या पत्नी विद्या शर्मा	AGEPK5341R	2012-2013	₹ 3,39,255.00
3.	आश्रित-1 कुर्ति राम (पुत्री)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	आश्रित-2 दिज्ञाराम राम (पुत्री)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	आश्रित-3 अभिषेक राम पुत्र	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं। लागू नहीं

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं। लागू नहीं

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण थोरे	लागू नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई	लागू नहीं



हे/हैं	लागू नहीं
--------	-----------

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है - ~~लागू नहीं~~

(पूर्वोक्त)

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न:- ~~लागू नहीं~~

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्योरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों)(यदि कोई हों) के ब्योरे	लागू नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धबोध ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है : ~~लागू नहीं~~

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धबोध ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा: ~~लागू नहीं~~

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धबोध ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है ~~लागू नहीं~~

(क)	उन मामलों के ब्योरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धबोध ठहराया गया है	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं



(ग)	अधिरूपित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धोप ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रस्थिति	लागू नहीं

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

ज. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं०, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं रकम बदन रकम	पति या पत्नी विशा रानी	आश्रित - 1 रुई सुभ (पुत्र)	आश्रित - 2 दिशा रानी (पुत्री)	आश्रित - 3 अनिल सुभ (पुत्र)	
(i)	हाथ में नकदी	₹ 15,660.00	₹ 35,218.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (निघत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	खाता सं० 10839463905 अरुणेश स्टेट बैंक, निगर विमान कैडल शाखा, मदन ₹ 3,20,165.00	खाता सं० 91101000388 9057 इस्टीम बैंक, मदन ₹ 9415.00	खाता सं० 0110001291 बैंक ऑफ इंडिया पुना ₹ 15060.00	लागू नहीं	लागू नहीं	खाता सं० 44241011 000381 बैंक ऑफ इंडिया, 21वीं फ्लोर मदन। ₹ 1027/-
(iii)	कंपनियों / पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों / शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	



क्रम संख्या	विवरण	स्वयं राम मदन राम	पति या पत्नी विधा रानी	आश्रित - 1 कुलेश्वर (पुत्र)	आश्रित - 2 दियाल राम (पुत्र)	आश्रित - 3 अनिल राम (पुत्र)
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	एक बी. आर. 30 लाभ्य पॉलिटी सं-180038356 09 रु 50,000.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	मोटरयान/वायुयान/वाट/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	सपारी 22219 रकम 4x2- मॉडल 2013 बी.आर. 01PB -7994 रु 1062859.00 फरवरी - 2014	इमारत/वा वैजल - 2009 की आर 01 PA - 2252 रु 5,00,000.00 वर्ष - 2009	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	लोक - 40 gm. रु 1,12,000.00	लोक - 250 ग्राम रु 6,72,000.00 चोरी - 50 ग्राम रु 20,000.00 कुल रु 6,92,000.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ix)	समग्र कुल मूल्य	रु 15,60,694.00	रु 12,92,270.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं राम मदन राम	पति या पत्नी विधा रानी	आश्रित - 1 कुलेश्वर (पुत्र)	आश्रित - 2 दियाल राम (पुत्र)	आश्रित - 3 अनिल राम (पुत्र)
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	अक-रामगौरी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	एक एकड़	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हो या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



क्रम संख्या	विवरण	स्वयं राफ बंदकगार	पति या पत्नी विधा-रागी	आश्रित - 1 जॉर्ज राफ (अपुत्र)	आश्रित - 2 दिगम्बर राफ (अपुत्र)	आश्रित - 3 आनंद राफ (अपुत्र)
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	₹ 5,00,000.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	लागू नहीं	① खीरवा, अजमेर जिले, पटवर्ग/किले क्र - 170 ② अणु विकास क्र - 3 - 3, सार्व क 301, सिकरी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	① 1810 वर्ग फुट ② 4,500 वर्ग फुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	① 24.11.2007 ② 12.01.2008	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	① ₹ 5,20,000/- ② ₹ 2,50,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	₹ 40,00,000/- ₹ 15,00,000/- ₹ 30,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	लागू नहीं	महात्मा गांधी स्टेड 213, अजमेर जिले, परगना खोतर क 1507	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	1633 वर्ग फुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	1500 वर्ग फुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	28.4.2008	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	₹ 3,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



क्रम संख्या	विवरण	स्वयं राम नरेश राय	पति या पत्नी मिथा रानी	आश्रित - 1 कमल राय (पुत्र)	आश्रित - 2 दिशांजलि राय (पुत्री)	आश्रित - 3 अनिल राय (पुत्र)
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	लागू नहीं	₹ 19,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	₹ 65,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	लागू नहीं	① प्लॉट नं.-15 राजमि जवाहर एमार नं. 3589 ② 250वरी नंबर नामा, जेमुकवि प्लॉट नं. 174	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	4752 वर्गफुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	1200 वर्गफुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	① 23.9.1998 ② 23.3.2002	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	① ₹ 1,50,000/- ② ₹ 3,25,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	① ₹ 25,00,000/- ② ₹ 6,00,000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	① ₹ 70,00,000/- ② ₹ 20,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	₹ 5,00,000/-	₹ 2,10,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ध्योरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण 1 कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समस्त रकम के ध्योरों का पृथक विवरण दें)

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति)	एचडी सी अरु कार कोय ₹ 10,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य दायित्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	दायित्वों का कुल योग	₹ 10,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



क्रम संख्या	विवरण	स्वयं रकम रख रख	पति या पत्नी विधा रखी	आश्रित - 1 कुल रकम (रकम)	आश्रित - 2 दिनांक रख (रकम)	आश्रित - 3 अविभक्त रकम
(ii)	सरकारी शोध : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	आय-कर शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	धनकर शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सेवाकर शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विक्रयकर शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्बलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं... अंशदा स्वयं कृषि

(ख) पति या पत्नी... मकान किराया

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

1. मैट्रिक - बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा अर्हता पटना - वर्ष 1979
2. इंटरमिडियेट - बिहार विश्वविद्यालय, दरभंगा - वर्ष 1981
3. इनाम - बिहार विश्वविद्यालय, दरभंगा - वर्ष 1985
4. स्नातकोत्तर - बिहार विश्वविद्यालय, दरभंगा - वर्ष 1988

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रमाण का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)





(11) भाग-क के (1) से 10 तक में दिए गये ध्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री / श्रीमती / कुल राम बदन राम				
2	डाक का पता	ग्राम - रामवारी, डाकघर - रविभद्रा थाना - मदिहारी, जिला - बेगूसराय पिन कोड - 951135				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	29, मुंगेर संसदीय क्षेत्र, बिहार				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है, (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	समाजवादी पार्टी				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरहित किए गए हैं।	लागू नहीं				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय(न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	लागू नहीं				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8की उपधारा(1), उपधारा(2) या उपधारा(3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	लागू नहीं				
7		उत्तरांचल का स्थायी लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल वर्धित आय		
	(क) अभ्यर्थी राम बदन राम	AGEPR9892J	2012-2013	₹ 3,12,593/-		
	(ख) पति या पत्नी निधा रानी	AGEPR5341R	2012-2013	₹ 3,39,255/-		
	(ग) आश्रित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
8	आस्तियों और दायित्वों के ध्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	₹ 15,60,684/-	₹ 122,278/-	लागू नहीं	लागू नहीं	₹ 1027.00



क्र.	स्थावर आस्तियां	अवधि राश/वर्ष/राश	पंजी विभा/राश	आवृत्ति/ इति/वर्ष	अवधि-2 दि/वर्ष/राश	अवधि-3 अभि/वर्ष/राश
	(i) स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	लागू नहीं	₹ 15,45,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ii) क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास / संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	लागू नहीं	₹ 49,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(iii) निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	लागू नहीं	₹ 2,10,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	₹ 5,00,000/-	₹ 2,10,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	दायित्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(i) सरकारी शोध (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	₹ 10,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i) सरकारी शोध (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता :	एग्रेसिव (उत्तिष्ठ) क्विबिल विश्वविद्यालय, मुजिगा नर - 1988.				
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्योरा दें।)					



*(Handwritten signature)*

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलें से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 25.3.2014 को सत्यापित किया गया।

I identify the dependent who signed in my presence.  
Approved  
35.3.2014  
By No. 500/14

Ximayam

अभिसाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र अमांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किनी-शपथ कक्षिका या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य" या "लागू नहीं" या "शात नहीं" जो उपयुक्त हो ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएँ है/हैं.....

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है.....

एवं मेरा सोशल एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....